

अंतिम डिक्री बमुकदमे इस्तदाई

(ऑर्डर 20, कल 6-7, जाला रीकानी)

(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकदमा श्रीकरणपुर
व इजलास श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)

गणपत राम आदि बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान जरीए तहसीलदार श्रीकरणपुर

धारा अंतर्गत 88 आरटीए मुकदमा नं. 94/2022

निर्णय दिनांक :- 27.05.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनाफिसाल कतई सूबस उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी वादी स्वयं पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि -

वादग्रह वादीगण अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 माली-भाति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 4 एक्स, पटवार हल्का 2 एक्स, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 76 के खाता संख्या 17,31,67,68,85 में रहन एस.बी.बी.जे शाखा केसरीसिंहपुर के स्थान पर रहन एस.बी.आई. शाखा केसरीसिंहपुर दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खातो के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपयुक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 27.05.2022 को यह पर्या डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
श्री करणपुर

मुद्दई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	00	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	00	00	स्टाम्प अरजी	00	--
स्टाम्प इयुटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	--
योग	00	00	योग	00	00

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

दिनांक: 27.05.2022

क्रमांक: रीडर/ 2022/297

प्रतिनिधि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।



{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

श्री करणपुर